राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1792/2015 जिला जयपुर

उनवान : मैसर्स डाइनेक्स इंटरनेशनल प्रा० लि०, वी.के.आई. एरिया, जयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य**	
19/11/2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 142/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2014–15 के दौरान मैसर्स स्ट्रीक ट्रेडिंग प्रा० लि० टिन नं० 08144701532 से रूपये 2,22,84,200/– की खरीद की जाना दशाते हुए उक्त खरीद पर चुकाये गये वैट रूपये 31,19,764/– का आई.टी.सी. क्लेम किया गया। विभागीय जांच में उक्त फर्म द्वारा जारी बिल बोगस पाये जाने के आधार पर सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61(2)(क) के तहत दिनांक 03.09.2015 को पारित करते हुए, रिवर्स टैक्स रूपये 31,19,764/–, ब्याज रूपये 3,96,357/– एवं कर की चार गुणा शास्ति रूपये 1,24,79,056/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त मांग की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2015 से अस्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 1,46,83,177/– की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. पारीक एवं श्री रमेश गुप्ता तथा विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी। लगातार.........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1792 / 2015...................................... जिला ....जयपुर..

उनवान : मैसर्स डाइनेक्स इंटरनेशनल प्रा0 लि0, वी.के.आई. एरिया, जयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19 / 11 / 2015	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना**, प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि **रूपये 1,24,79,056 / –** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** 19.11.2015 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	